न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राज0)

अपील प्रकरण संख्या 12/92/2018

प्रवेश तिथि 12.06.2018

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री शुभराम पुत्र रामचन्द्र ग्राम व पोस्ट–कारोडा, तहसील–बहरोड (अलवर)		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड (अलवर)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 25.07.2018

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 02.05.2018 के माध्यम से प्रत्यर्थी विभाग से सूचना आयोग, जयपुर द्वारा आरोपित शास्ति से राजकोष को हुई हानि, हानि की भरपाई के लिए दोषियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत पदस्थापित स्टाफ इत्यादि संबंधी 07 बिन्दुओं पर सूचना चाही गई थी।
4. आवेदक द्वारा उपरोक्त प्रार्थना–पत्र दिनांकः 02.05.2018 में वांछित सूचनायें नहीं मिलने के कारण प्रार्थना–पत्र दिनांकः 05.06.2018 के माध्यम से इस कार्यालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को नोटिस क्रमांकः कोर्ट/ए.डी.एम.प्रथम/आर.टी.आई.अपील/2018/426–27 दिनांकः 12.06.18 के माध्यम तलब कर दिनांकः 20.06.18 को जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी प्रेषित की गई।
6. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से पत्रांकः लोक सूचना/2018/525–26 दिनांकः 19.06.18 के माध्यम से जवाब नोटिस प्रस्तुत किया गया जिसे अभिलेख पर लिया गया। अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया।
7. हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों पर मनन किया। प्रत्यर्थी द्वारा उक्त अपील प्रकरण में बिन्दुवार जवाब नोटिस प्रेषित कर अवगत कराया गया कि "अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांकः 02.05.2018 के संबंध में कार्यालय पत्रांकः 313 दिनांकः 18.05.2018 के माध्यम से सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है।"

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

(5)

8. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील प्रा0पत्र दिनांक 05.06.2018 में नियत समय गुजरने के बाद भी सूचना प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जाना अवगत कराया गया है किन्तु प्रत्यर्थी द्वारा प्रकरण में दिनांक: 18.05.18 को ही सूचना प्रेषित कर दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी को सूचना किस प्रकार अप्राप्त रही, के प्रमाणन हेतु अपीलार्थी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। इससे यह माना जा सकता है कि अपीलार्थी को संभवतः उक्त सूचना बाद में प्राप्त हो गई हो।

9. अतः उक्त आलोक में प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांकः 02.05.2018 पर समय पर विनिश्चय कर सूचित कर दिये जाने के कारण प्रथम अपील अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।

10. आदेश की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे।

11. निर्णय घोषित।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0) ALWAR (RAJ.)

(राकेश कुमार)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)